संख्या:71/2020/794/35-4-2020

प्रेषक ,

विवेक,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतकबीरनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 24 नवम्बर,2020

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-37/2020/508/35-4-2020 दिनांक 28 मार्च,2020 द्वारा 10 राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति निर्गत की गई थी, जिसमें से जनपद-संतकबीरनगर के **विधान सभा क्षेत्र धनघटा में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य** हेतु रू. 1226.43 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 490.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। एतद्द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा जनपद संतकबीरनगर के राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य हेतु इंगित भूमि के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्वीकृति शासनादेश में अंकित भूमि का विवरण	संशोधित भूमि का विवरण
तहसील धनघटा के ग्राम जोगाराजा के गाटा संख्या-4ग मि रकबा 1.10 हे0 (2.78 एकड़)	तहसील धनघटा के ब्लाक-पौली के मझौरा ग्राम के गाटा संख्या-7ए मि 1.10 हे0

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1214/दस-2020,दिनांक 17 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:71/2020/794(1)/35-4-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,व्यवसायिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण□लायुक्त,बस्ती।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, उ0प्र0।
9- प्रमुख अीभयनता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
10-मुख्य विकास अधिकारी,संतकबीरनगर
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संतकबीरनगर।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संतकबीरनगर।
15- संबंधित अधिशाषी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।